—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 97/2025

उनवान

माधोराम पुत्र भाला जाति गुर्जर निवासी ग्राम छछून्दरा तहसील भिनाय, केकडी हाल निवासी अमर कुआ कोटा

—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार

वद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :— दिनांक :— 30.6.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भैरूखेडा के खाता संख्या 138/128 किता 2 रकबा 0.12 व 139/129 किता 21 रकबा 3.06 की आराजी के मूल खातेदार मादू पुत्र भोला है जो कि वादी है। वादी कगांव में बोलचाल में मधोराम के नाम से भी जानते है। वादी का वास्तविक नाम माधोराम है। आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, ई श्रम कार्ड, ग्राम पंचायत पत्र वजह सबूत सलंग्न है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख में मादू पुत्र भाला सहवन से दर्ज हो गया है। अतः अराजी मुतनाजा पर वादी का सही नाम माधोराम पुत्र भाला अंकित किया जावे।

राज. पैरोकार ने जवाब पेश नही पेश करना जाहिर किया।
प्रकरण में कोई खण्डन नही होनें के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व प्रार्थी के पहचान दस्तावेज पेश किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम भैरूखेडा के खाता संख्या 138/128 किता 2 रकबा 0.12 व 139/129 किता 21 रकबा 3.06 की आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की हैं। उक्त आराजी में विरासत के नामान्तकरण स्वीकृत करते समय वादी का नाम [illegible] माधोराम के स्थान पर मादू कर दिया। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, बैंक [illegible] बुक, जन आधार कार्ड, पेन कार्ड, ई श्रम कार्ड, ग्राम पंचायत पत्र में [illegible] राजस्व अभिलेख में मादू के स्थान पर माधोराम दर्ज [illegible] मुतनाजा वादी को जरियें विरासत प्राप्त हुयी है। राज. [illegible] खण्डन नही किया है। उक्त त्रुटि दुरूस्त करने से राजहित व अन्य सह खातेदार के [illegible] प्रभावित नही होते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्तानुसार ग्राम भैरूखेडा के खाता संख्या 138/128 किता 2 रकबा 0.12 व 139/129 किता 21 रकबा 3.06 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी के नाम की विस्तृत व गहनता से जॉच कर त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार वादी का नाम माधोराम दुरूस्ती की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

माधोराम बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 97/2025
पेश करने की दिनांक – 14.05.25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभावक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभावक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भैरूखेडा के खाता संख्या 138/128 किता 2 रकबा 0.12 व 139/129 किता 21 रकबा 3.06 की आराजी पर वादी का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी के नाम की विस्तृत व गहनता से जॉच कर त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार वादी का नाम माधोराम दुरूस्ती की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक — को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।
बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 6 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested